



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]  
No. 47]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2007/फाल्गुन 3, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2007/PHALGUNA 3, 1928

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2007

सं. 11-8/2007 (यू.) (पीजी आरईजीएल).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ज) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 1979 के जहां तक उनका संबंध भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् यूनानी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों को एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है;

(ख) 'परिषद्' से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) 'मान्यताप्राप्त संस्थान' से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (क) के अधीन यथा परिभाषित अनुमोदित संस्थान अभिप्रेत है।

**3. उद्देश्य और प्रयोजन:** यूनानी चिकित्सा स्नातकोत्तर उपाधि और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का उद्देश्य और प्रयोजन यूनानी चिकित्सा से संबंधित विशिष्टताओं और अति विशिष्टताओं का अभिविन्यास करना तथा ऐसे सुविज्ञ और विशेषज्ञों को तैयार करना है जो अपने संबद्ध क्षेत्रों में सुयोग्य और दक्ष अध्यापक, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, भेषज विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता हो सकें।

**4. विशेषज्ञताएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं**

**माहिर-ए-तिब्ब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) के लिए विषय**

(1)	कुल्लियात- उमूर-ए-तिब्बिया	यूनानी चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांत
(2)	मुनाफे-उल-आजा	शरीर क्रिया विज्ञान
(3)	इल्मुल अदविया	भेषजगुण विज्ञान
(4)	इल्मुश सैदला	भेषजिकी
(5)	तहफुजी-वा-समाजी तिब्ब	निवारक और सामाजिक चिकित्सा शास्त्र
(6)	इल्मुल अतफाल	बाल रोग विज्ञान
(7)	मुआलीजात	चिकित्सा शास्त्र
(8)	इल्मुल अमराज	विकृति विज्ञान
(9)	इलाज बित-तदबीर	पथ्यापथ उपचार
(10)	अमराज-ए-जिल्द-वा-जोहराविया	त्वचा विज्ञान एवं रतिज रोग

**माहिर-ए-जराहत(मास्टर ऑफ सर्जरी) के लिए विषय**

(11)	तशरीह-उल-बदन	शरीर रचना विज्ञान
(12)	इल्मुल जराहत	शल्य चिकित्सा
(13)	अमराज-ए-उज्ज, अनफ-वा-हलक	कर्ण, नासा और कंठ रोग
(14)	इल्मुल कबालात-वा-अमराज-ए-निसवां	प्रसूति एवं स्त्री रोग

**5. विषय जिनमें स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकते हैं**

(1)	सैदला	भेषजिकी में डिप्लोमा
(2)	अमराज-ए-एन	नेत्र रोग में डिप्लोमा
(3)	अमराज-ए-उज्ज, अनफ व हलक	कर्ण, नासा और कंठ रोग में डिप्लोमा
(4)	अस्पताल प्रबंधन	अस्पताल प्रबंधन में डिप्लोमा
(5)	इलाज-बित-तदबीर	पथ्यापथ उपचार में डिप्लोमा

## 6. स्नातकोत्तर उपाधि की नाम पद्धति-

- (1) माहिर-ए-तिब्ब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)  
विशेषज्ञता का विषय उपाधि अर्थात् "ताहफुजी-वा-समाजी तिब्ब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा शास्त्र)" में दिया जाएगा।
- (2) माहिर-ए-जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी)  
विशेषज्ञता का विषय उपाधि अर्थात् जराहत (शल्य चिकित्सा) में विशेषज्ञता के रूप में दिया जाएगा।

## 7. स्नातकोत्तर डिप्लोमा की नाम पद्धति----- में डिप्लोमा- या विशेषज्ञता का विषय में डिप्लोमा शब्द के पूर्व रिक्त स्थान में दिया जाएगा, उदाहरणार्थ "सैदलिया (भैषजिकी) में डिप्लोमा"।

## 8. स्नातकोत्तर उपाधि और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि-

- (1) स्नातकोत्तर उपाधि और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि क्रमशः तीन वर्ष और दो वर्ष की होगी।
- (2) छात्रों को वार्षिक परीक्षा में बैठने होने के लिए पात्र होने के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक कुल व्याख्यानों में कम से कम 85 प्रतिशत की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

## 9. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मानदण्ड-

- (1) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त संस्थान से यूनानी चिकित्सा और शल्यक्रिया स्नातक (बी यू एम एस) की उपाधि या समतुल्य उपाधि धारक और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा।
- (2) यथास्थिति विश्वविद्यालय या समिति या मेडिकल कॉलेज संस्थान, एक प्रवेश समिति का गठन करेगा जो प्रवेश से संबंधित प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगी।
- (3) अभ्यर्थियों का चयन 100 अंकों वाली प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का होगा जिसमें बीयूएमएस पाठ्यक्रम के सभी विषय समाविष्ट किए जाएंगे। इसका ब्यौरा प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (4) प्रवेश परीक्षा में योग्यता के क्रम से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
- (5) \*यूनानी चिकित्सा के किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक कोई अभ्यर्थी को यूनानी चिकित्सा के किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए दाखिले की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (6) कोई अभ्यर्थी जिसे स्नातकोत्तर उपाधि के किसी विषय में प्रवेश मिल चुका हो उसे प्रवेश की तारीख से छह माह की अवधि के पश्चात् किसी अन्य स्नातकोत्तर विषय में परिवर्तित होने या दाखिला मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को यूनानी के मौलिक सिद्धांतों के अनुप्रयुक्त पहलुओं का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

\* टिप्पण:- यह पाबंदी स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों पर लागू नहीं होगी।

10. प्रशिक्षण की पद्धति: विषय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं में व्यापक प्रशिक्षण व्याख्यानों, प्रयोगात्मक कक्षाओं, नैदानिक प्रदर्शनों, सामूहिक विचार-विमर्शों, सेमिनार और संगोष्ठियों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

### 11. स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना-

- (1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम केवल उन चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों में प्रारंभ किया जाएगा जहां पहले से ही स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम विद्यमान है। तथापि, केंद्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति (यूनानी) को विकसित करने के हित में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के बिना ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने लिए विशेष परिस्थितियों के अधीन अनुमति प्रदान कर सकती है।
- (2) स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए पृथक स्थान आवश्यक होगा और स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (3) सभी स्नातकोत्तर विभागों में एक विभागीय पुस्तकालय उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) प्रत्येक नैदानिक स्नातकोत्तर विभाग की अपनी प्रयोगशाला होगी।
- (5) विभाग में संबद्ध विशिष्टताओं और विषय में प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित पर्याप्त उपस्कर और अनुसंधान सुविधाएं होंगी।
- (6) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अतिरिक्त शिक्षण कर्मचारिवृन्द में संबद्ध विषय के एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक शामिल होंगे जो स्नातकपूर्व शिक्षण के लिए निर्धारित अध्यापकों के अतिरिक्त होंगे।
- (7) चिकित्सा कालेज / संस्थान में जहां स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम नहीं हैं वहां नैदानिक विभाग के लिए न्यूनतम चार अध्यापक अर्थात् आचार्य-एक, उपाचार्य-एक, प्राध्यापक-दो और प्रत्येक बीस अंतर्गृह शय्याओं के लिए एक रजिस्ट्रार/सीनियर रेजीडेंट अपेक्षित होंगे।

आचार्यों और उपाचार्यों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन कमियों को अतिथि आचार्यों/उपाचार्यों/अध्येताओं को नियुक्त करके तथा अध्यापकों द्वारा रिक्त पद को भरते हुए पूरा किया जाएगा।

टिप्पण : यह उपबंध वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण के लिए सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष हेतु जारी रहेगा।

**12. छात्र शिक्षक अनुपात :-**

छात्र शिक्षक अनुपात इस प्रकार होगा कि आचार्यों के मामले में स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या और प्रति वर्ष प्रविष्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या एक अनुपात तीन (1:3) के रूप में, उपाचार्यों के मामले में और व्याख्याताओं के मामले में क्रमशः एक अनुपात दो (1:2) और एक अनुपात एक (1:1) के रूप में बनाये रखी जाए।

**13. वृत्तिका और अन्य सुविधायें:-**

वृत्तिका और आकस्मिक व्यय जिसके अंतर्गत आकस्मिक व्यय तथा दौरे के कार्यक्रम भी हैं समेत अन्य सुविधायें स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान छात्रों के लिए राज्य में प्रचलित दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी और ये सुविधायें यूनानी चिकित्सा स्नातकोत्तर छात्र के लिए निरपवाद रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली अनिवार्य आवश्यकता के रूप में परिषद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

**14. परीक्षा और निर्धारण :-**

यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की परीक्षा और निर्धारण निम्नलिखित पर आधारित होगा-

- (क) प्रत्येक विषय में लिखित, प्रायोगिक और मौखिक / नैदानिक परीक्षा;
- (ख) स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा शोध प्रबंध की प्रस्तुति।

**15. शोध प्रबंध:-**

- (1) सभी छात्रों के लिए शोध प्रबंध अनिवार्य होगा और इस प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक के अधीन में उनके अपने कार्यों को समाहित करेगा।
- (2) आचार्य, उपाचार्य और अभ्यागत आचार्य या स्नातकोत्तर विभागों में संविदा पर नियुक्त आचार्य और उपाचार्य या प्राध्यापक मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक होंगे।
- (3) स्नातकोत्तर छात्र के मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक की नियुक्ति विभाग में ज्येष्ठता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
- (4) किसी गैर स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए आयुर्विज्ञान के शोध प्रबंध के डॉक्टर का मार्गदर्शन के लिए पांच वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
- (5) पर्यवेक्षक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित शोध प्रबंध डॉक्टर ऑफ मेडिसिन/मास्टर ऑफ सर्जरी (एमडी/एमएस) की अंतिम परीक्षा की तारीख से पहले कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत करेगा। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन/मास्टर ऑफ सर्जरी की अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली पूर्व शर्त परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का अनुमोदन करना होगा।
- (6) शोध प्रबंध को चार प्रतियों में मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक के प्रमाण पत्र सहित संबंधित विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा और विभाग अध्यक्ष/प्रमुख उसे संबंधित प्राधिकारी को मूल्यांकन के लिए अग्रपिहित करेंगे।

- (7) प्रत्येक शोध प्रबंध को तीन परीक्षकों, एक विषय का बाहरी परीक्षक, एक ज्येष्ठतम् आंतरिक परीक्षक और विभाग अध्यक्ष / प्रमुख द्वारा नियुक्त मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षित/मूल्यांकित किया जायेगा।
- (8) आंतरिक और बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का अनुमोदन/शिफारिश करने के पश्चात् अभ्यर्थी को लिखित, प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाओं के अनुज्ञात किया जाएगा।
- (9) परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध के अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में दूसरी राय के लिए अन्य परीक्षक शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया जायेगा।
- (10) दूसरे परीक्षक द्वारा भी शोध प्रबंध के अस्वीकार किये जाने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को शोध प्रबंध पुनः प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया जाएगा।
- (11) शोध प्रबंध पर मौखिक परीक्षा विभाग अध्यक्ष या प्रमुख द्वारा नियुक्त दो परीक्षकों (एक बाहरी और एक आंतरिक) द्वारा संचालित की जायेगी।

#### 16. स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम परीक्षाओं की पद्धति :

- (1) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में केवल दो परीक्षाएं होंगी और उसकी पद्धति निम्नलिखित रीति में होगी-
- (क) पहले वर्ष की परीक्षा एक शैक्षणिक वर्ष के समापन पर आयोजित की जायेगी;
- (ख) दूसरे शैक्षणिक वर्ष में अनुसंधान कार्य आदि के कारण कोई परीक्षा नहीं होगी।
- (ग) अंतिम परीक्षा प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तीन शैक्षणिक वर्षों के समापन पर आयोजित की जायेगी।
- (2) वार्षिक परीक्षा के पश्चात 6 माह में पूरक/दूसरी परीक्षा होगी।
- (3) यदि कोई छात्र लगातार चार बार अवसर दिये जाने पर भी प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होने से असफल रहता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द समझा जायेगा।

#### 17. स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों की पद्धति :- स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रश्न पत्रों की पद्धति इन विनियमों के परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

#### 18. अंकों की पद्धति

- (1) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंक का होगा और अवधि तीन घंटे की होगी।
- (2) डॉक्टर ऑफ मेडिसिन /मास्टर ऑफ सर्जरी में पहले वर्ष और तीसरे वर्ष के प्रत्येक विषय की प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा अधिकतम 100 अंकों की होगी।
- (3) प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा के लिए अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत होंगे।
- (4) प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन/मास्टर ऑफ सर्जरी (एमडी/एमएस) परीक्षाओं के प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक पत्रों के लिए एक परीक्षक तथा प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाओं के लिए दो परीक्षक (एक बाहरी और एक आंतरिक) होंगे।

## 19. अध्यापन कर्मचारिवृन्द के लिए अर्हताएं-

### अनिवार्य

- (क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित भारतीय चिकित्सा के सांविधिक बोर्ड/संकाय से यूनानी चिकित्सा की डिग्री।
- (ख) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय /मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता।
- (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राचार्य और उपाचार्य के लिए क्रमशः 10 वर्षों और पांच वर्षों का संबंधित विषयों में अध्यापन का अनुभव।
- (घ) मान्यता प्राप्त यूनानी मेडिकल कालेजों में कार्यरत और 1995 से पूर्व नियुक्त शिक्षक संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता के बिना आचार्य, उपाचार्य और व्याख्याता के पद पर नियुक्ति / प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।
- (ङ) संबंधित विषयों में आचार्य और उपाचार्य के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए गैर स्नातकोत्तर व्याख्याता/उपाचार्य को क्रमशः तेरह और आठ वर्षों का कम से कम अध्यापन अनुभव रखना चाहिए। परंतु यह उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्षों तक लागू रहेगा।

### वांछनीय :

- (क) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव।
- (ख) संबंधित विषय पर प्रकाशित मूल शोध पत्र/ग्रन्थ।
- (ग) अरबी/फारसी/अंग्रेजी की बेहतर जानकारी।

टिप्पण : यूनानी की अपेक्षित विशिष्टता में स्नातकोत्तर डिग्री धारक शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित विषयों के डॉक्टर ऑफ मेडिसीन डिग्री धारक पर विचार किया जायेगा। संबंधित विषयों का ब्यौरा निम्नवत है:-

- (क) कुल्लियात/तशरीह-उल-बदन/मुनाफे-उल-आज़ा /इल्मुल अमराज
- (ख) इल्मुल अदविआ/दावासाजी
- (ग) हिफजान-ए-सेहत/ इल्मुल सुमूम
- (घ) मोआलीजात/अतफाल/इलाज-बित-तदबीर
- (ङ) जराहियात/अमराज-ए-ऐन/अमराज-ए-उज्ज, अनफ, हलक वा अस्नान।

टिप्पण : यह उपबंध सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात (7) वर्ष तक जारी रहेगा।

## 20. स्नातकोत्तर विभाग हेतु न्यूनतम कार्मिक के लिए पद्धति :

- (1) स्नातकोत्तर विभागों में विभागवार न्यूनतम कर्मचारिवृन्द के लिए पद्धति निम्नलिखित प्रकार से होगी:-
  - (क) आचार्य/उपाचार्य ..... 1
  - (ख) व्याख्याता ..... 2

(ग)	नैदानिक विभाग हेतु नैदानिक रजिस्ट्रार .....	2
(घ)	तकनीशियन .....	1
(ङ)	तकनीकी सहायक .....	1
(च)	प्रयोगशाला सहायक .....	1
	कनिष्ठ लिपिक	
(छ)	कम्प्यूटर प्रचालक/आशुलिपिक/टंकक .....	1
(ज)	वरिष्ठ लिपिक/लेखाकार .....	1
(झ)	चपरासी .....	1
(ञ)	सफाई वाला या संविदा आधार पर एक व्यक्ति .....	1
(ट)	बिजली मिस्त्री या संविदा आधार पर एक व्यक्ति .....	1
(ठ)	नलसाज या संविदा आधार पर एक व्यक्ति .....	1

(2) प्रत्येक निम्नलिखित विषयों के लिए संविदात्मक आधार पर एक व्याख्याता नियुक्त किया जाएगा :-

- (क) भेषज रसायन शास्त्र/पादप-रसायन शास्त्र
- (ख) जैव- रसायन शास्त्र
- (ग) सूक्ष्म-जीव विज्ञान
- (घ) स्त्री रोग विज्ञान
- (ङ) आधुनिक भेषज गुण विज्ञान
- (च) शल्य-चिकित्सक
- (छ) जैव-सांख्यिकीविद्

टिप्पण : 1. संविदात्मक आधार पर नियुक्त उपरोक्त शिक्षकों के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और पर्याप्त शिक्षण/अनुसंधान अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण : 2. किसी भी विभाग में रिक्त पद 65 वर्ष की आयु से कम के सेवानिवृत्त प्रोफेसरों/रीडरों द्वारा संविदात्मक आधार पर नियमित नियुक्ति किए जाने तक भरे जाएंगे।



परिशिष्ट-कडॉक्टर ऑफ मेडिसिन/मास्टर ऑफ सर्जरी यूनानी डिग्री के प्रश्न पत्रों की पद्धति**1. मुआलीजात (आयुर्विज्ञान)****पहला वर्ष**

- (1) जैव रसायन शास्त्र और आनुवांशिकी
- (2) मुआलीजात उसूल तहकीक वा हयाती शुमारियात (नैदानिक अनुसंधान और जैव सांख्यिकी के मूलभूत सिद्धांत)
- (3) उसूल-ए-तशखीश, तजवीज माइ जदीद इजाफत (निदान सिद्धांत और नई खोजों से उपचार)
- (4) इलाज बित तदबीर (महागुल्मीय चिकित्सा)

**तीसरा वर्ष**

- (1) अमराज-ए-निजाम-ए-हजम, बोआल वा तनासुल(पाचन और मूत्राशय- जनन तंत्र संबंधी रोग )
- (2) अमराज मुतादिया, हुमियात, जिल्द वा मफासिल (संक्रामक रोग, ज्वर और त्वचा तथा जोड़ों संबंधी रोग)
- (3) अमराज-ए-निजाम-ए-आसाब वा गुदादे लुकानती (स्नायु तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र संबंधी रोग)
- (4) अमराज-ए-निजाम-ए-तनाफुस वा दौराने खून (श्वसनी और परिसंचारी तंत्र संबंधी रोग)

**2. इल्मुल अदविया (भेषजगुण विज्ञान)****पहला वर्ष**

- (1) इल्म वसफुल अंकाकीर (भेषज अभिज्ञान)
- (2) उसूल-ए-तहकीक वा हयाती शुमारियात (अनुसंधान प्रणाली विज्ञान और जैव-सांख्यिकी)
- (3) सामान्य और प्रायोगिक भेषजगुण विज्ञान
- (4) तिब्बी कीमिया वा मीरबंदी अदविया (यूनानी औषधियों का मानकीकरण)

**तीसरा वर्ष**

- (1) अदविया मुफरादा माइ जदीद इजाफत (नई खोजों पर आधारित एकल यूनानी औषधियां)
- (2) अदविया मुराक्कबह माइ जदीद इजाफत (नई खोजों पर आधारित यूनानी सम्मिश्रित औषधियां)
- (3) उसूल वा क्वानीन अदविया (यूनानी भेषजगुण विज्ञान के सिद्धांत)
- (4) इल्मुल सैदलिया वा तकलिस (यूनानी भेषिजी और कैल्सिनोलॉजी)

**3. कुलियात-ए-तिब्ब (चिकित्सा सिद्धांत)****पहला वर्ष**

- (1) उमूर-ए-ताबिया, हयाती कीमिया और इतलाकी अफालुल अजा
- (2) उसूल तहकीक-वा-जदीद तहकीकी इजाफत

578 9707-3

- (3) कुलियात-ए-उमूर-ए-ताबिया I (अरकान, मिजाज, अखलात वा अजा)
- (4) कुलियात-ए-उमूर-ए-ताबिया II (अरवाह, कुवा वा अफाल)

#### तीसरा वर्ष

- (1) कुलियात-ए-नब्ज-वा-बोल-ओ-बराज
- (2) इतलाकी कुलियात
- (3) कुलियात-ए-उसूल इलाज, असबाब-ओ-अलामात

#### 4. तसरीह—उल—बदन (शरीर रचना विज्ञान)

##### पहला वर्ष

- (1) आनुवांशिकी और विकासात्मक शरीर रचना विज्ञान
- (2) जैव सांख्यिकी और अनुसंधान प्रणाली विज्ञान
- (3) पाचन तंत्र, हृद् वाहिका तंत्र, श्वसन तंत्र का अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान
- (4) मांसपेशीय कंकालीय तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र तथा स्नायु तंत्र का अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान।

##### तीसरा वर्ष

- (1) जदीद तहकीकी इजाफात
- (2) नैदानिक और बाह्य शरीर रचना विज्ञान

#### 5. मुनाफे—उल-आजा(शरीर क्रिया विज्ञान)

##### पहला वर्ष

- (1) जैव-सांख्यिकी और आनुवांशिकी सहित उमूर-ए- ताबिया
- (2) मांसपेशीय कंकालीय तंत्र, पाचन तंत्र तथा हृद् वाहिका तंत्र का अनुप्रयुक्त मुनाफल अजा।
- (3) श्वसन तंत्र और विशेष इंद्रियों का अनुप्रयुक्त मुनाफल।
- (4) अंतःस्त्रावी तंत्र, स्नायु तंत्र तथा मूत्र-जनन तंत्र का अनुप्रयुक्त शरीरक्रिया विज्ञान।

##### तीसरा वर्ष

- (1) नैदानिक शरीर क्रिया विज्ञान
- (2) जदीद तहकीकी इजाफात

**6. अमराज-ए-निस्वां वा कबालत (स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूतिविज्ञान)****पहला वर्ष**

- (1) हयाती कीमिया-वा-इतलाकी जनिनयात (जैव रसायनविज्ञान, अनुप्रयुक्त आनुवांशिकी)
- (2) उसूल-ए-तहकीक-वा-हयाती शुमरियात (अनुसंधान प्रणाली विज्ञान और जैव सांख्यिकी)
- (3) स्त्री प्रजनन तंत्र का अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान
- (4) इल्मुल कबालत जदीद तहकीकी इफाजत

**तीसरा वर्ष**

- (1) अमराज-ए-नाउ-मुलूद
- (2) अमराज-ए-निस्वां

**7. जराहियात (शल्य क्रिया)****पहला वर्ष**

- (1) नैदानिक शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और जराहत का इतिहास
- (2) यूनानी औषधियों से शल्य क्रिया (जराहत) में प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांत
- (3) तखदीर-ए-उमूमी वा मुकामी (सामान्य और स्थानीय संवेदनाहरण)
- (4) अमालियात-ए-जराहियाह (लघु और बड़ी शल्यक्रिया)

**तीसरा वर्ष**

- (1) जराहत-ए-उमूमी (सामान्य शल्य क्रिया)
- (2) जराहत-ए-खुसूसी (सर्वांग शल्य क्रिया)
- (3) जराहत में नवीनतम विकास
- (4) भौतिक चिकित्सा सहित अमराज-ए-इजाम-ओ-मफासिल (पुरानी और नई अवधारणाएं)

**8. तहफुजी-वा-समाजी तिब्ब (निवारक और सामाजिक चिकित्सा)****पहला वर्ष**

- (1) तारीख-ए-हिफजान सेहत(हिफजान सेहत वा समाजी तिब्ब का इतिहास)
- (2) सेहत-वा-मर्ज में महोलयाती असरत-वा-सेहती तंजीमात (स्वास्थ्य और रोग की अवधारणा, स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रभाव)
- (3) उसूल-ए-तहकीक-वा-हयाती शुमरियात

- (4) असबाब-ए-सित्ता जरोरिया-माइ-जदीद इजाफत

### तीसरा वर्ष

- (1) अमराज-ए-मुतादी-वा-वबाई-वा-तहफ्फुजी इकदामात
- (2) कौमी सेहत, खानदानी बहबूद, जीनसी इखितलाती अमराज कहलत ( जरा चिकित्सा)
- (3) दलक का प्रयोग, रियाजत, हम्माम

### 9. इल्मुल अमराज (विकृति विज्ञान)

#### पहला वर्ष

- (1) उसूल-ए-तहकीक वा शुमारीयात वा हयाती कीमिया
- (2) बोल-ओ-ब्राज वा इल्मुल असबाब
- (3) अमराज-ए-तफरूक-ए-इतासल वा सू-ए-मिजाज
- (4) अमराज-ए-तरकीब

#### तीसरा वर्ष

- (1) इल्मुल जरासिम वा तुफैलियात
- (2) इतलाकी इल्मुल अमराज वा जदीद इजाफात

### 10. इल्मुल-सैदला (फार्मेसी)

#### पहला वर्ष

- (1) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी
- (2) क्वानीन-ए-दवासाजी
- (3) यूनानी औषधियों का मानकीकरण
- (4) इल्मुल तकलीस (केल्सिनोलॉजी)

#### तीसरा वर्ष

- (1) भेषज विकास और इसका सैदला में अनुप्रयोग
- (2) यूनानी चिकित्सा में प्रसाधन शास्त्र
- (3) औद्योगिक फार्मेसी

### 11. इल्मुल अतफाल (बाल चिकित्सा)

#### पहला वर्ष

- (1) उसूल-ए-तहकीक, हयाते-ए-शुमारियात  
(अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी और आनुवांशिकी)

- (2) उसूल-ए-तशखीश-वा-तजाविज और तशखीश में जदीद इजाफात  
(रोग निदान और नुस्खों के सिद्धांत)
- (3) अतफाल में अमराज-ए-दिमाग, आसाब, मेदा और जिगर के असबाब-वा-अलामत-वा-इलाज (मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, पेट और जिगर के रोग)

### तीसरा वर्ष

- (1) नुक्स-ए-तगजिया, मुतादी अमराज और इनका तदारुक  
(कुपोषण, सांसर्गिक रोग और इनका प्रबंधन)
- (2) अतफाल में अमराज-ए-तनफ्फुस, दौरान-ए-खून, निजाम-ए-बॉल-वा-तनासुल (श्वसनी तंत्र, हृद् वाहिनी तंत्र, मूत्रजनन तंत्र के रोग)

### 12. इलाज-बित-तदबीर (रेजीमेंटल थेरेपी)

#### पहला वर्ष

- (1) उसूल-ए-तहकीक, हयाती शुमारियात, हयाती कीमिया-वा-वरासियात  
(अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकीय, जैवरसायन विज्ञान और आनुवांशिकी)
- (2) इलाज-बित-तदबीर की इफादियत, मवाके इस्तेमाल और तारीका-ए-कीर और इनकी इतलाकी अहमियत  
(रेजीमेंटल थेरेपी के लाभ, इनके अनुप्रयोग, प्रणाली और अनुप्रयुक्त पहलू)
- (3) इदरार, तारीक, काई, इसहाल,  
(मूत्रलता, प्रस्वेदन और उल्टी, विरेचन)
- (4) रोगों के संबंध में दलक और रिबाजत के अकसाम  
(मालिश और व्यायाम के प्रभाव)

#### तीसरा वर्ष

- (1) इरसाल-ए-अलक, हजामत और फसद
- (2) अमल-ए-केइ

### 13. अमराज-ए-जिल्द-जोहराविया (त्वचा और यौन रोग)

#### पहला वर्ष

- (1) उसूल-ए-तहकीक, हयाती शुमारियात, हयाती कीमिया-वा-वरासियात (अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव सांख्यिकी, जैव रसायन विज्ञान और आनुवांशिकी)

578 9707-4

- (2) त्वचा और जननेन्द्रिय अंगों से संबंधित शरीर क्रिया विज्ञान
- (3) अमराजे जोहराविया की तफसील मा जदीद इजाफात, जदीद-वा-कदीम इलाज (वर्तमान आधुनिकी के साथ यौन रोगों का विवरण, यूनानी और आधुनिक उपचार)

#### तीसरा वर्ष

- (1) आतिशक की तशाखीश-वा-तजवीज मा जदीद मुआलीजात वा इजाफात (उपचार में वर्तमान आधुनिकी सहित सिफलिस का निदान और निवारण)
- (2) अकमाम की तारीफ, असबाब-वा-अलामात-वा-ताहफफुज-ए-इकदामात और जदीद-वा-कदीम-तारीख (एक्वायर्ड इम्युनो डिफिसियेंसी सिन्ड्रोम(एड्स) कारण, लक्षण और निवारण)

#### 14. अमराज-ए-उज्ज, अनफ, हलक वा अस्नान (कर्ण, नासा कंठ और दंत)

##### पहला वर्ष

- (1) उसूल-ए-तहकीक, हयात-ए-शुमारियात, हयात-ए-कीमिया-वा-वरासियात (अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी, जैव रसायनशास्त्र और आनुवांशिकी)
- (2) उज्ज, अनफ, हलक की तशरीह और मुनाफे-ए-उल-आजा (कर्ण, नासा और कंठ की विवेचना और शरीर क्रिया विज्ञान)
- (3) अमराज-ए-अनफ
- (4) अमराज-ए-उज्ज  
(कान, नाक और गला और शल्यगत प्रक्रिया में यूनानी औषधि का प्रयोग)

##### तीसरा वर्ष

- (1) अमराज-ए-हलक
- (2) उज्ज, अनफ, हलक में इस्तेमाल होने वाले आलात-ए-जराहिया वा आमाले जराहिया (कर्ण, नासा और कंठ से संबंधित उपस्कर और विभिन्न शल्य क्रियाओं का ज्ञान)

**परिशिष्ट- ख**

**डिप्लोमा पाठ्यक्रम-** परीक्षा में (i) लिखित (ii) नैदानिक व्यावहारिक मौखिक परीक्षा शामिल होगी। शैक्षणिक वर्ष के अंत में प्रत्येक विशेषज्ञता की अंतिम परीक्षा ली जाएगी।

**(1) सैदला (भैषजिकी में डिप्लोमा)**

- (i) क्वानीन-ए-दवासाजी, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, भैषजिकी अधिनियम
- (ii) यूनानी औषधियों का मानकीकरण
- (iii) इल्मुल तकलीस (कैल्सिनोलॉजी)
- (iv) फार्मास्युटिक्स

**(2) अमराज-ए-ऐन (नेत्र रोग विज्ञान में डिप्लोमा)**

- (i) तशरीह ऐन मुफ्फस्सल
- (ii) मुनाफे-उल-आजा, जराहत-ए-ऐन का आम मुताला, अमराज-ए-ऐन-वा-इलाज
- (iii) ऑप्टियोमैट्री

**(3) अमराज-ए-उज्ज, अनफ, हलक वा अस्नान (कण, नासा, कंठ और दंत में डिप्लोमा)**

- (i) उज्ज, अनफ और हलक की तशरीह और मुनाफे-उल-आजा (कर्ण, नासा और कंठ की विवेचना और शरीर क्रिया विज्ञान)
- (ii) अमराज-ए-अनफ, हलक और इलाज
- (iii) अमराज-ए-उज्ज और इलाज

**(4) अस्पताल प्रबंधन (अस्पताल प्रबंधन में डिप्लोमा)**

- (i) स्वास्थ्य अर्थशास्त्र
- (ii) स्वास्थ्य विधि
- (iii) मानव संसाधन विकास
- (iv) जैव सांख्यिकी

**(5) इलाज-बित-तदबीर (रेजीमेंटल थेरेपी में डिप्लोमा)**

- (i) अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान
- (ii) इदरार, तारीक, काइ, इसहाल
- (iii) संबंधित रोगों में दलक और रियाजत
- (iv) इलाज-बित-तदबीर और भौतिक चिकित्सा विज्ञान की तकनीकों का अनुप्रयोग

प्रेम राज शर्मा, निबन्धक-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असा./124/2006]

[विज्ञापन - III/IV/असा./124/06]

**CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st February, 2007

No. 11-8/2007 (U) (PG Regl).— In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (l) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and in suppression of the Indian Medicine Central Council (Post – Graduate Education) Regulations, 1979, in so far as they relate to Unani medicine, except as respects things done or omitted to be done before such super-session, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government in order to regulate the Post-graduate Education of Unani medicine, hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Unani Education) Regulations, 2007.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires:-  
(a) 'Act' means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;  
(b) 'Council' means the Central Council of Indian Medicine;  
(c) 'recognised institution' means an approved institution as defined under clause (a) of sub-section(l) of section 2 of the Act.
3. **Aims and Objects** The aims and objects of the post-graduate degree and diploma courses in Unani medicine shall be to provide orientation in specialities and super specialities in Unani medicine and to produce experts and specialists, who can be competent and efficient teachers, physicians, surgeons, pharmaceutical experts and researchers in their respective fields.
4. **Specialties in which Post Graduate degree Course can be conducted**

**Subjects for Mahir-e-Tib (Doctor of Medicine)**

- |     |                         |                                       |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|
| (1) | Kulliyat-Umoor-e-Tabiya | Basic Principles of Unani<br>Medicine |
| (2) | Munafe-ul-Aza           | Physiology                            |
| (3) | Ilmul Advia             | Pharmacology                          |
| (4) | Ilmus Saidla            | Pharmacy                              |



(5)	Tahaffuzi-wa-Samaji Tibb.	Preventive and Social Medicine
(6)	Ilmul Atfal	Pædiatrics
(7)	Moalejat	Medicine
(8)	Ilmul Amraz	Pathology
(9)	Ilaj Bit-tadabeer	Regimental Therapy
(10)	Amraz-e-Jild-o-Zohrawayia	Dermatology and Venereal diseases

### Subjects for Mahir-e- Jarahat (Master of Surgery)

(11)	Tashreeh-ul-Badan	Anatomy
(12)	Ilmul Jarahat	Surgery
(13)	Amraz-e-Uzn, Anaf -wa-Halaq	Diseases of ear, nose and throat.
(14)	Ilmul Qabalat-wa- Amraz-e-Niswan	Obstetrics and Gynaecology

### 5. Specialities in which post-graduate diploma courses can be conducted

(1)	<b>Saidala</b>	<b>Diploma in Pharmacy</b>
(2)	Amraz-e-Ain	Diploma Ophthalmology
(3)	Amraz-e-Uzn, Anaf, Halaq	Diploma in ear, nose and throat
(4)	Hospital Management	Diploma in Hospital Management
(5)	Ilaj Bit -tadbir	Diploma in Regimental Therapy

### 6. Nomenclature of post graduate degree.-

- (1) MAHIR-E-TIB (DOCTOR OF MEDICINE)  
The subject of speciality shall be given in the degree e.g. "Specialist in Tahaffuzi-wa-Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)".
- (2) Mahir-e-Jarahat ( Master of Surgery)  
The subject of speciality shall be given in the degree e.g. "Specialist. in Jarahat (Surgery)".

### 7. Nomenclature of post-graduate diploma.- Diploma in \_\_\_\_\_

The subject of speciality shall be given in the blank space after the word 'Diploma in' e.g. "Diploma in Saidla (Pharmacy)".

578 9707-5

## 8. Duration of post-graduate degree and diploma courses.-

(1) The duration of post-graduate degree and diploma courses shall be three years and two years respectively.

(2) The students shall have to attend atleast eighty five percent of total lectures in theory and practicals to become eligible for appearing in annual examination.

## 9. Criteria of admission for post graduate courses.-

- (1) A person holding degree of Bachelor of Unani Medicine and Surgery (BUMS) or equivalent degree from a recognised institution included in the Second Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 and enrolled in the State Register of Indian systems of medicine shall be eligible for admission in the post graduate course.
- (2) The University or Board or medical college institution as the case may be, shall constitute an admission committee, which shall supervise the admission procedure.
- (3) The selection of candidates shall be made strictly on the basis of merit through entrance test comprising of 100 marks. The entrance test paper shall be of objective type questions covering all the subjects of Bachelor of Unani Medicine and Surgery course, the details of which shall be decided by the admission committee.
- (4) The admission shall be given on the basis of marks secured in entrance test in the order of merit.
- (5) \*A candidate possessing post graduate degree in one subject of Unani medicine shall not be allowed admission in any other subject of Unani medicine for post graduate course.
- (6) A candidate who has been admitted in any subject of post graduate degree course shall not be allowed to switch over or seek admission in any other subject of post graduate course after a period of six months from the date of admission.
- (7) In the first year of the post graduate course, the students shall have to acquire knowledge of applied aspect of fundamentals in Unani

**\*Note : The ban shall not apply to Post Graduate diploma holders.**

**10. Method of training** .- There shall be comprehensive training in both theoretical and practical aspects of the subject through lectures, practicals, clinical demonstrations, group discussions, seminars and symposiums.

**11. Establishment of post graduate Department.-**

- (1) Post graduate Course shall be started only in those medical colleges/institutions where under-graduate course already exist, however, the central government may in the interest of developing Indian Systems of Medicine (UNANI) grant permission under special circumstances to start post graduate course without under graduate courses.
- (2) Separate space for post graduate teaching shall be must and other facilities for post graduate teaching shall be made available.
- (3) A departmental library shall be provided in all post graduate departments.
- (4) Each clinical post graduate department shall have its own laboratory.
- (5) The Department shall have adequate equipment and research facilities required for training in the related speciality and subject.
- (6) The minimum additional teaching staff required for starting post-graduate course shall be one Reader and one Lecturer of concerned subject, in addition to the teachers stipulated for under-graduate teaching.
- (7) In the medical college / institute not having under graduate courses minimum four teachers i.e. Professor-one, Reader-one, Lecturer -two, for Clinical Department, one Registrar / Senior Resident for every twenty indoor beds shall be required.

In case Professors and Readers are not available, the deficiency shall be made by appointing visiting Professors/Readers/Fellows and filling up the vacant post by Lecturers.

**Note :** This provision shall continue for five year from the date of publication of this notification in the official Gazette to tide over the present situation .

**12. Students teacher ratio.-**

The student teacher ratio shall be such that the number of post graduate teachers to the number of post graduates student admitted per year be maintained at one is to three (1:3) in case of Professors, one is to two (1:2) in case of Readers and one is to one in case of Lecturer.

**13. Stipend and other facilities.-** The stipend and other facilities including contingency and tour programme shall be provided at the rates prevailing in the State for other medical post-graduate students and these facilities shall be regarded by the Council as an essential requirement to be invariably provided to post graduate student in Unani medicine.

**14. Examination and Assessments.-**

The examination and assessment of post graduate training in Unani medicine shall be based on.-

- (a) written paper, practical and viva-voce/clinical examination of each subject;
- (b) submission of thesis by the post graduate scholars.

**15. Thesis.-**

- (1) The thesis shall be compulsory for all students and shall embody their own work under the guide or supervisor for the purpose.
- (2) The guide or supervisor shall be a Professor, Reader, visiting professor or a professor, Reader or Lecturer on contractual appointments in the post graduate departments.
- (3) The appointment of guide or supervisor for post graduate student shall be strictly on the basis of seniority in the department.
- (4) A non post-graduate teacher, for providing guidance for Doctor of Medicine thesis, shall be required to have five years experience.
- (5) The thesis duly signed by the supervisor shall be submitted well in advance at least three months before the date of Doctor of Medicine / Master of surgery (MD/MS) final examination approval of the thesis by examiners shall be a pre-condition for permission to appear in the Doctor of Medicine / Master of surgery final examination.
- (6) Four copies of the thesis shall be submitted to the Chairman/Head of the Department concerned with certificate from the guide or supervisor and the Chairman/Head of the Department shall forward the same to the concerned authority for evaluation.
- (7) Every thesis shall be examined/evaluated by three examiners, one external examiner in the subject, one senior most internal examiner and the guide or supervisor appointed by the Chairman/Head of the Department.

(8) After approval/recommendation of the thesis by external and internal examiners, the candidate shall be permitted to appear in written, practical and viva voce examinations.

(9) In case of rejection of thesis by the examiners, another examiner will be appointed for evaluation of thesis for second opinion.

(10) In case of rejection of thesis by another examiner also, the candidate shall be given six months to resubmit the thesis.

(11) Viva-voce examination on thesis shall be conducted by two examiners (one external and one internal) appointed by the Chairman or Head of the Department.

#### 16. Pattern of examinations for post graduate degree course.-

- (1) The post-graduate degree course shall have only two examinations and their pattern shall be in the following manner:-
  - (a) The first year examination shall be conducted on completion of one academic year;
  - (b) There shall be no examination for second academic year due to research work etc.
  - (c) The final examination shall be conducted on completion of three academic years, after passing the first year examination.
- (2) There shall be a supplementary / second examination after annual examination, within six months of the annual examination.
- (3) If any student fails to clear of the first year in four consecutive chances his registration shall be deemed to be cancelled.

#### 17. Pattern of papers for post-graduate degree courses.- The pattern of papers for post graduate degree courses shall be as specified in the Appendix to these regulations.

#### 18. Pattern of Marks

- (1) Each theory paper shall be of 100 maximum marks and three hours duration.
- (2) Practical and viva-voce examination of each subject of Doctor of Medicine / Master of Surgery first year and third year shall be of 100 maximum marks

578 95/07-6

- (3) Minimum passing marks shall be 50 percent both in theory and practical separately for each subject.
- (4) There shall be one examiner for theory and two examiners for practical and viva-voce (one external and one internal) in each subject for first year and final year Doctor of Medicine / Master of Surgery (MD/MS) examinations.

## 19. QUALIFICATIONS FOR TEACHING STAFF .-

### **Essential:-**

- (a) Degree in Unani medicine from a University established by law or a statutory Board/Faculty of Indian Medicine included in Second Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970.
- (b) Post-graduate qualification in concerned discipline from a recognised institution/University established by law.
- (c) Teaching experience in a recognised institution for ten years and five years for the post of Professor and Reader respectively in the respective disciplines.
- (d) Teachers who are working in recognised Unani Medical Colleges, and appointed prior to 1995 shall be eligible for appointment/promotion for post of Professor, Reader and Lecturer in the respective discipline without post graduate qualification.
- (e) **For appointment/promotion to the Post of Professor and Reader in the respective disciplines the non post graduate lecturer/Reader should have at least thirteen (13) years, and eight (8) years of teaching experience respectively. Provided that this provision shall continue for five years from the date of publication of this notification in official Gazette.**

### **Desirable:**

- (a) Post graduate teaching experience in the respective discipline.
- (b) Original published papers/books on the concerned subject.
- (c) Good knowledge of Arabic/Persian/English.

**NOTE: In case of non availability of post graduate degree holder teachers in required specialty of Unani ,the Doctor of Medicine in the allied disciplines shall be considered the details of the allied subjects are as follows:-**

- (a) kulliyat/Tashreeh-ul-Badan/Manf-e-ul-Aza/Ilmu amraz
- (b) Ilmul advia /Dawasazi

- (c) Tahaffuzi wa Samaji Tibb/Ilmul-Sumoom
- (d) Moalejat/Amraz-e-Atfal/Ilaj bit tadbeer/Amraz-e-uzan anaf, halaq wa asnan
- (e) Jarrahiyat/Amraz-e-Ain.

**Note :** This provision shall continue for seven (7) year from the date of publication of this notification in the official Gazette.

**20. Pattern for minimum staff for post graduate department.-**

(1) The pattern for minimum staff, department wise in the post graduate departments shall be in the following manner:-

(a)	Professor / Reader .....	1
(b)	Lecturer .....	2
(c)	Clinical Registrar for Clinical department.....	2
(d)	Technician .....	1
(e)	Technical Assistant .....	1
(f)	Lab Assistant .....	1
	Junior Clerk .....	1
(g)	Computer Operator/Steno/Typist.....	1
(h)	Senior clerk/Accountant .....	1
(i)	Peon .....	1
(j)	Safaiwala or a person on contact basis.....	1
(k)	Electrician or a person on contact basis.....	1
(l)	Plumber or a person on contact basis.....	1

(2) One lecturer on contractual basis may be appointed for each of the following subjects..

- (a) Pharmaceutical Chemistry/Phyto-chemistry
- (b) Bio-Chemistry
- (c) Micro-Biology
- (d) Gynecologist
- (e) Modern Pharmacology
- (f) Surgeon
- (g) Biostatistian

**NOTE:** 1. The above teachers appointed on contractual basis should have post graduate degree and sufficient teaching/research experience in the respective subject.

**Note: 2** The vacant post may be filled on contractual basis with the retired professors/Readers below 65 years of age in any department till the regular appointment is made.

**APPENDIX-A**

Pattern of papers for Doctor of Medicine / Master of Surgery Unani degree

**1. Moalijat (Medicine)****First year**

- (1) Biochemistry and Genetics
- (2) Moalijat Usoole Tehqeeq wa Hayati Shumariyat (Fundamentals of Clinical research and Biostatistics)
- (3) Usoole Tashkheesh, Tajveez mai jadeed izafat (Principles of diagnosis and treatment with advancements)
- (4) Ilaj bit tadabeer (Regimental therapy)

**Third year**

- (1) Amaraze Nizame Hazm, Boal wa Tanasul (Diseases of Digestive and Urinogenital systems)
- (2) Amraz Mutaddiya, Hummiyat, Jild wa Mafasil (Infectious diseases, Fevers and Diseases of skin and Joints)
- (3) Amraze Nizame Aasab wa Ghudade Laqanati (Diseases of nervous and Endocrine systems)
- (4) Amraze Nizame Tanaffus wa Daurane Khoon (Diseases of Respiratory and Circulatory systems)

**2. Ilmul Advia (Pharmacology)****First year**

- (1) Ilmul Wasful aqaqeer (Pharmacognosy)
- (2) Usoole Tahqeeq wa Hayati Shumariyat (Research methodology and Biostatistics)
- (3) General and experimental Pharmacology
- (4) Tibbi Keemiya wa Mearbandi advia ( Standardization of Unani drugs)

**Third year**

- (1) Advia Mufrada mai jadeed izafat (Unani single drugs with advancements)
- (2) Advia Murakkaba mai jaded izafat (Unani compound drugs with advancements)
- (3) Usool wa Qawanine Advia (Principles of Unani Pharmacology)
- (4) Ilmul Saidla wa Taklis (Unani Pharmacy and Calcinology)



**3. Kulliyat-e-tib (Principle of medicine))****First year**

- (1) Umoor-e-Tabia, Hayati Keemiya and Itlaqi Afalul Aza
- (2) Usoole Tahqeeq-wa-Jadid Tahqeeqi Izafat
- (3) Kulliyat-e-Umoor-e-Tabia I(Arkan, Mizaj, Akhlat wa Aza)
- (4) Kulliyat-e-Umoor-e-Tabia II (Arwah, Quwa wa Afal).

**Third year**

- (1) kulliyat-e- Nabz-wa-Bol-o-Baraz
- (2) Itlaqi Kulliyat
- (3) Kulliyat-e-Usule Ilaj, Asbab-o- Alamat

**4. Tashreeh-ul-Badan (Anatomy)****First year**

- (1) Genetics and Developmental Anatomy)
- (2) Biostatistics and Research Methodology
- (3) Applied Anatomy of Digestive system, Cardiovascular system  
Respiratory system
- (4) Applied Anatomy of Musculo skeletal system, Endocrine system and Nervous system

**Third year**

- (1) Jadeed Tahqeeqi Izafat
- (2) Clinical and surface Anatomy

**5. Munafe-ul-Aza ( Physiology)****First year**

- (1) Umooe Tabia with Biostatistics and Genetics
- (2) Applied Phisiology (Munafeul Aza) of Musculo skeletal system, Digestive system, Cardiovascular system
- (3) Applied Munafeul of Respiratory system and Special senses
- (4) Applied Physiology of Endocrine system, Nervous system and Urogenital system

5785F67-7

**Third year**

- (1) Clinical Physiology
- (2) Jadeed Tahqeeqi Izafat

**6. Amraze niswan wa Qabalat (Gynochology and Obstratics)****First year**

- (1) Hayaati Kemiya-wa-Itlaqi Janinyat (Biochemistry, Applied Genetics).
- (2) Usool-e-Tehqiq-wa-Hayati Shumariyat (Research Methodology and Biostatistics).
- (3) Applied Anatomy and Physiology of female reproductive system
- (4) Ilmul Qabalat

**Third year**

- (1) Jadid Tahqiqi Izafat
- (2) Amraz-e-Nau-Maulood
- (3) Amraz-e-Niswan

**7. Jarrhiyat (Surgery)****First year**

- (1) Clinical Anatomy, Physiology and History of Jarahat;
- (2) Basic principles of management in Surgery (Jarahat) with Unani drugs.
- (3) Takhdeer-e-Umoomi wa Muqami (Anaesthesia general and local)
- (4) Amaliyat-e-Jarahiyah (Minor and Major surgery)

**Third year**

- (1) Jarahat-e-Umoomi (General surgery)
- (2) Jarahat-e-Khusoosi (Systemic surgery)
- (3) Recent Advances in Jarahat (surgery)
- (4) Amraz-e-Ezam-o-Mafasil including Physiotherapy (Old and Recent concepts).

## 8. Tahaffuzi-wa-samaji tib (Preventive and social medicine)

### First year

- (1) Tarikh-e-Hifzane Sehat (History of Hifzane Sehat wa Samaji Tib)
- (2) Sehat-wa-Marz Main Maholyati Asrat-wa-Sehati Tanzeemat (Concept of health and diseases, Environmental influence on health)
- (3) Usool-e-Tahqeeq-wa-Hayati Shymariyat
- (4) Asbab-e-Siitta Zaroriya-Mai-Jadeed Izafat

### Third year

- (1) Amraz-e-Mutaddi-wa-Wabai-wa-Tahaffuzi Iqdamaat
- (2) Qaumi Sehat, Khandani Bahbood, Jinsi Ikhtilati Amraz , Amraz-e-Kaholat (Geriatrics)
- (3) Application of Dalak, Riyazat, Hammam.

## 9. Ilmul Amraz (Pathology)

### First year

- (1) Usool-e-Tehqiq wa shumariyat wa Hayati Kimiya.
- (2) Bol -o- Braz wa Ilmul Asbab.
- (3) Amraz-e Tafarruq-e-Itasal wa Su-e-Mizaj
- (4) Amraz-e- Tarkib.

### Third year

- (1) Ilmul Jarasim wa Tufailiyat.
- (2) Itlaqi Ilmul Amraz wa Jadid Izafat.

## 10 Ilmul-saidla (Pharmacy)

### First year

- (1) Research methodology, Biostatistics
- (2) Qawanin-e-dawasazi.
- (3) Standardisation of Unani Drugs.
- (4) Ilmul Taklees (Calcinology)

### Third year

- (1) Pharmaceutical development and its application in saidla
- (2) Cosmatology in Unani medicine.
- (3) Industrial pharmacy

**11. Ilmul Atfal (Pediatrics)****First year**

- (1) Usool-e-tehqiq, Hayati shumariyat, (Research methodology, Biostatistics, and Genetics)
- (2) Usool-e-tashkhees-wa-tajwiz aur tashkhees mein jadeed izafat. (Principles of diagnosis and prescriptions).
- (3) Atfal mein amraz-e-dimagh, asaab, meda aur jigar ke asbab-wa-alamat-wa-ilaj. (disease of brain, nervous system, stomach and liver .)

**Third year**

- (1) Naqs-e-taghziya, mutaddi amraz aur inka tadaruk. (Malnutrition, infectious disease and its management).
- (2) Atfal mein amraz-e-Tanaffus, Dauran-e-khoon, Nezam-e-baul- wa- Tanasul. (Diseases of respiratory system, cardiovascular system, urogenital system ).

**12. Ilaj-bit-tadbir (Regimental therapy)****First year**

- (1) Usool-e-tehqiq, Hayati shumariyat, Hayati keemiya-wa-Warasiyat (Research methodology, Biostatistics, Biochemistry and Genetics)
- (2) Ilaj-bit-tadbir ki efadiyat, mawaqe istemaal aur tariqa-e-kar aur inki itlaqi ahmiyat. (Advantage of Regimental therapy, its uses, methods and applied aspects).
- (3) Idrar, Tareeq, Qai, Ishal, ( diuresis, diaphoresis, and induced vomiting, purgation .)
- (4) Dalak aur Riyazat ke aqşam in relation of diseases (Effects of massage and exercise).

**Third year**

- (1) Irsal-e-Alaq, Hajamat and Fasad
- (2) Amale-e-Kae.

**13 Amraz-e-jild-wa-zohrawiya (skin and venereal diseases)****First year**

- (1) Usool-e-tehqiq, Hayati shumariyat, Hayati keemiya-wa-Warasiyat (Research methodology, Biostatistics, Biochemistry and Genetics)

- (2) Physiology of skin and genital organs
- (3) Amraz-e-zohrawiya ki tafseel maa jadeed izafat, jadeed-wa-qadeem ilaj. (Details of venereal diseases with recent advancement, Unani and modern treatment.)

### Third year

- (1) Atishak ki tashkhis-wa-tajwiz maa jadid muallijati izafat. (Diagnosis and prescription of syphilis with recent advancement in treatment).
- (2) Aqmam ki tareef, asbab-wa-alamat-wa-tahaffuzi iqdamat aur jadeed-wa-qadeem-tareeq. (Definition of Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), causes, symptoms and prevention).

## 14. Amraz-e-uzn, anaf, halaq wa asnan (Ear, Nose Throat and Dentistry)

### First year

- (1) Usool-e-tehqiq, Hayati shumariyat, Hayati keemiya-wa-Warasiyat (Research methodology, Biostatistics, Biochemistry and Genetics)
- (2) Uzn, anaf, halaq ki tashreeh aur munafeul-aza. (anatomy and physiology of ear, nose and throat.)
- (3) Amraz-e-Anaf.
- (4) Amraz-e-Uzn (Use of Unani medicine in the diseases of ear, nose and throat and surgical intervention).

### Third year

- (1) Amraz-e-Halq
- (2) Uzn, Anaf, Halaq mein istemal hone wale alat-e-jarahiya wa amale Jarahiya (Knowledge of ear, nose and throat instrument and various operations).

## Appendix -B

**Diploma course** .- The examination should consist (i) Written (ii) clinical piratical viva voce. There shall be final examinations in each speciality at the end the academic year.

### (1) Saidla (Diploma in Pharmacy)

- (i) Qawanin-e-dawasazi Drug & Cosmetic Act, Pharmacy Act.
- (ii) Standardisation of Unani Drugs.
- (iii) Ilmul Taklees (Calcinology)
- (iv) Pharmaceutics

**(2) Amraz-e-Ain (Diploma Ophthalmology)**

- (i) Tashreeh Ain Muffassil
- (ii) Munafeul Aza, Jarahat of AIN ka aam mutaliya, Amraz-e Ain wa Ilaj
- (iii) Optometry

**(3) Amraz-e-Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Diploma in ear, nose, throat and Dentistry)**

- (i) Tashreeh Uzn, anaf, halaq ki tashreeh aur munafeul-aza. (anatomy and physiology of ear, nose and throat.)
- (ii) Amraz-e- anaf, Halaq and Ilaj.
- (iii) Amraz-e-Uzn and Ilaj

**(4) Hospital Management (Diploma in Hospital Management)**

- (i) Health economics
- (ii) Health Law
- (iii) Human Resources development
- (iv) Biostatitics

**(5) Ilaj Bit -tadbir (Diploma in Regimental Therapy)**

- (i) Applied anatomy & physiology,
- (ii) Idrar, Tareeq, Qai, Ishal,
- (iii) Dalak aur Riyazat in relation of diseases
- (iv) Ilaj-bit-tadbir and application of techniques of physiotherapy

P. R. SHARMA, Registrar-cum-Secy.  
[ADVT-III/IV/Exty./124/2006]